

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा**

E-mail-eccdalmorapwd@rediffmail.com

Ph. No.- 05962-230091

पत्रांक **1788** / 3सी (व.भू)
सेवा में,

दिनांक **18** / 07 / 2017

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय :- चितई पन्त तिराहे से हरिदत्त पेटशाली रा0इ0का0 मोटर मार्ग का निर्माण। (प्रस्ताव सं0 9220 / 2015)

संदर्भ:- वन संरक्षक, उत्तरी कु0वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा का पत्रांक-1311 / 12-01 दि0 01.10.15
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा बिन्दु सं0 1 से 11 तक आपत्ति लगायी गयी है। आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत् है-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	Short Narrative of the project does not give adequate information about Project	औचित्य एवं आवश्यकता का प्रमाण पत्र संलग्न कर Part I के Additional info. के Serial No. 8 में आनलाईन कर प्रेषित।
2	Period For Which forest land is proposed to be diverted is not mentioned	मोटर मार्ग हेतु लीज में भूमि नहीं ली जाती है। मोटर मार्ग का निर्माण सदैव के लिए किया जाता है। लीज अवधि का प्रमाण-पत्र Part I के Additional info. के Serial No. 13 में आनलाईन कर प्रेषित।
3	Justification for locating project in forest area not satisfactory	मोटर मार्ग का जी0आई0 एस0 मैप में कोर्डिनेट मैप में आरक्षित भूमि अंकित कर मैप पार्ट I के सेक्सन C के (IV) में अपलोड कर आन लाईन प्रेषित।
4	Total Length of the Road, Length Already approved & Balance length proposed for approval do not tally	मोटर मार्ग के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का लम्बाई-चौड़ाई का प्रमाण-पत्र संलग्न कर Part I के Additional info. के Serial No. 9 में आनलाईन कर प्रेषित।
5	Copy of the map indication alternatives examined not attached the map attached shown CA area only	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र, डिजिटल मैप व जी0आई0एस0 मैप में निर्देशांक दर्शाकर पार्ट I के सेक्सन L में अपलोड कर आन लाईन प्रेषित।
6	Date is not mentioned in the proceedings of SLC & Gram Sabha Meetings under FRA & area is also not correct. GP names are also not mentioned	वनाधिकार अधिनियम 2006 के ग्रामसभा के प्रमाण-पत्र में दिनांक अंकित कर ग्राम पंचायतों के नाम अंकित कर कर Part I के Additional info. के Serial No. 10 में आनलाईन कर प्रेषित।
7	In the CA area map only two GPS coordinates are given More GPS Coordinates are required.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र में निर्देशांक दर्शाकर पार्ट I के सेक्सन L में अपलोड कर आन लाईन प्रेषित।
8	Maintenance of CA plantation may be provided up to 10 year as per practice in U.K.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण 10 वर्षों की रख-रखाव योजना तैयार कर Part I के Additional info. के Serial No. 11 में आनलाईन कर प्रेषित।
9	In the Additional Documents, the No. of trees in forest area is given as 433 & that in nap Land 361 Totaling 794. But the No. of Tress in forest Land is given 794 in Part II which may be reviewed Accordingly, Density of Vegetation & rate of NPV may also be reviewed.	निराकरण आपके स्तर से होना है।
10	Working plan prescription for the forest Land has not been given whereas 0.17hac RF Land is proposed for diversion	0.17है0 आरक्षित भूमि मोटर मार्ग के समरेखन अन्तर्गत प्रभावित होती है। जिसे मोटर मार्ग के समरेखन से नहीं हटाया जा सकता है।
11	Approximate Distance of the proposed site of diversion from boundary of forest is not given	आरक्षित भूमि की सीमा मोटर मार्ग के एलांगमैन्ट मानचित्र में दर्शाई गयी है। जिसे Part I के Additional info. के Serial No. 12 में आनलाईन कर प्रेषित।

**अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग, अल्मोड़ा**